उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या– 634–कार्य/चौदह–पाकालि/2021–29–के/1983 दिनांकः 9 अप्रैल, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–7/2020/151/18–2–2020–63(ल0उ0)/2012 दिनांक 19.03.2020 द्वारा प्रख्यापित "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति–2020" को दृष्टिगत् रखते हुये एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगमों की उत्पादों एवं सेवाओं हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE's) को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते हैं:–

1. प्राइस मैचिंग का विकल्प :–

1.1 यदि टेण्डर में एल–1 आफर देने वाली फर्म उत्तर प्रदेश मे स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है (अर्थात मध्यम या वृहद् फर्म है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल–1 आफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैण्ड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल–1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या उपक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा निविदित मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा।

1.2 टेण्डर के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के पक्ष में निर्णय लेते समय गुणवत्ता के मानकों में किसी प्रकार की छूट संबंधित इकाइयों को नहीं दी जायेगी और इस आशय का उल्लेख टेण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित भी किया जायेगा।

2. विभागीय क्रय में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से क्रय किये जाने हेतु आरक्षण:–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक क्रय (उत्पाद एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हुए) का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम के उत्पादों या सेवाओं से क्रय द्वारा आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे। शर्त यह है कि यदि 25 प्रतिशत क्रय के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु इकाई उपलब्ध नहीं है अथवा 25 प्रतिशत के लक्ष्य में कमी आती है, तो देश मे स्थित किसी भी सूक्ष्म एवं लघु इकाई से 25 प्रतिशत की पूर्ति की जायेगी।

3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय किये गये उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति में निम्नलिखित को भी गिना जायेगा:–

3.1 वृहद् उद्यमों को दिए गए क्रयादेशों के सापेक्ष उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निर्गत उप संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति।

3.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघों की उप संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति।

4. संव्यवहार लागत में कमी :–

व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएगी :–

4.1 निविदा सेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2 अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट दी जाएगी।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

संख्या– 634(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2 अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3 ~~प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।~~

4 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।

6 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।

7 अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8 अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

9 महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

10 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

11 समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम।

12 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।

13 समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम।

14 समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

15 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

16 कट फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र)
संयुक्त सचिव
(ज0श0 प्रशि0 एवं कार्य)